

दावा सं: 330  
5/6/18

राजस्थान सरकार

निर्णित  
5/6/18

राजस्थान लोक अदालत अधिकारियान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

द्वारा आपक धा. 2018

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) बाण का बरखेड़ा

क्रमांक: कैम्प कोर्ट/18/5660

आदेश

दिनांक: 5/6/18

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाण का बरखेड़ा व भू.अ.नि. भांडोरज की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देसा/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बैरावास तहसील देसा व जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 201, 202, 203 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बैरावास	201	हजारी पुत्र कन्हैयालाल	हजारीलाल पुत्र कन्हैयालाल
2.	" "	202	हजारी पि. कन्हैयालाल	" " "
3.	" "	203	" " "	" " "

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, .....

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर.....